न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00204RAAJodhpur2020-106RTA225 Poonjarajsingh ors Vs Sawaisingh etc

01. पुंजराजसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपूत, निवासी- खिरजा खास, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
02. गंगासिंह पुत्र श्री आईदानसिंह,
03. राजूसिंह पुत्र आईदानसिंह
04. श्रीमती खम्माकंवर पत्नी आईदानसिंह
जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम धीरपुरा, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. सवाईसिंह पुत्र पदमसिंह
02. सुमेरसिंह पुत्र पदमसिंह
03. श्रीमती मोहनकंवर पत्नी पदमसिंह
04. जैतसिह पुत्र शिवदानसिंह
05. प्रेमसिंह पुत्र जेठूसिंह
06. ओमसिंह पुत्र जेठूसिंह
07. दलपतसिंह पुत्र राणीदान सिंह
सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम धीरपुरा, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
08. घनश्याम पुत्र शंकरलाल, जाति सोनी, निवासी- बालेसर सता, जिला जोधपुर।
09. श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी शंकरलाल, जाति सोनी, निवासी- बालेसर सता, जिला जोधपुर।
10. राजेन्द्र कुमार पुत्र ताराचंद, जाति दिशांतरी, निवासी- बालेसर सता, जिला जोधपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

12.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 अगस्त 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 116/2020 पुंजराजसिंह व अन्य बनाम सवाईसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री कानाराम गोदारा ,अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री के.के. गोयल, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. आठ से दस

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या ग्यारह

नि र्ण य

दिनांक : 12 सितंबर 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 116/2020 अनवान पूंजराजसिंह व अन्य बनाम सवाईसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 अगस्त 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 04 सितंबर 2020 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1173 रकबा 33 बीघा 09 बिस्वा ग्राम मोकमगढ तहसील सेखाला के संबंध में बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये पूर्व में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को अप्रार्थी संख्या 8 व 10 के विरुद्ध अपास्त कर दी, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 10 अपने हक-हिस्से व बंट की भूमि

12.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 1173/2 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जिसमें सें 0.09 बीघा भूमि जो सड़क हेतु समर्पण है व 1225 वर्गमीटर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ हेतु सम्परिवर्तित है, की आड़ में अपने खातेदारी खसरा नं. 1173/2 की चिपते स्थित अपीलांट संख्या दो से चार के खातेदारी खसरा नं. 1173/4 में हस्तक्षेप कर अपने बंट से अधिक भूमि पर कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा होने पर अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया जो विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2020 को प्रदान की गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश के जरिये राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना तथा अपीलांट्स को सुने बिना ही अप्रार्थी संख्या 8 व 10 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त कर दिया। अपीलांट्स खसरा नं. 1173/4 के रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 अगस्त 2020 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को इस हद तक स्वीकार फरमाया जावे कि रेस्पोडेंट्स प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 1173/4 रकबा 3.14 बीघा की भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त की समर्पणसुदा एवं संपरिवर्तित भूमि पर

12.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्माण कार्य किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। अंत में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2073-2076 एवं अद्यतन नक्शा ट्रेस पी- 35 क्रमांक 6468 दिनांक 07.08.2020 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नं. 1173 रकबा 33.09 बीघा वर्तमान में पृथक-पृथक बट्टा नंबरान् में विभाजित है तथा प्रत्येक बट्टा नंबरान् का खसरा तरमीम होकर पृथक-पृथक सीमाओं से आबद्ध है। उभय पक्ष को एक-दूसरे के खातेदारी खसरान् में दखलंदाजी करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में उभय पक्ष को परस्पर दखलंदाजी किये जाने से रोका जाना उचित प्रतीत होता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण होना शेष हैं। लिहाजा मामला विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

12.9.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 अगस्त 2020 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27 सितंबर 2023 को उपस्थित रहे। तब तक उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे नक्शा ट्रेस पी- 35 क्रमांक 6468 दिनांक 07.08.2020 में दर्शित तरमीम अनुरूप ही निर्माण कार्य करे/करने दे तथा एक-दूसरे के खसरों की खातेदारी भूमि में उनके कब्जे-काश्त में दखलंदाजी नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.9.23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर